न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 86/2006

1. रिछपालसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. बलवन्तसिंह } पिसरान उजागरसिंह पुत्र सन्तसिंह जाति जटसिख निवासीयान चक
2. रामसिंह } 5 बी छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 26.09.2016

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.05.2006 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी प्रतिवादीगण 1 व 2 व उनके नाम पिता के नाम से चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 17, 20, 21, में केल 57 बीघा नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता का देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 ही पिता के जायज वारिस व भूमि के काबिजान है।

प्रतिवादीगण के पिता को अपनी भूमि के लिये रास्ता की जरूरत होनें के कारण उसनें वादी की भूमि मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से रास्ता लिया तथा इस रास्ता में वादी की 1)1 बीघा भूमि ली गई तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता नें उक्त 6 बिस्वा के मुआवजा के रूप में वादी को उसकी चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में कुल 3 बिस्वा भूमि दी तब से कब्जा वादी का ही चला आ रहा है तथा आज भी वादी का ही कब्जा है।

उक्त 3 बिस्वा भूमि के सम्बध में इन्तकाल नम्बर 37 दिनांक 15.06.1981 किया गया जमाबन्दी में भी दर्ज किया गया मगर अमल दरामद नहीं हो सका, इस सम्बंध में वादी नें तहसीलदार श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र पेश किया इस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई व रिपोर्ट के अनुसार भी कब्जा वादी का होना व इन्तकाल अमल दरामद ना होनें का लिखा गया है।

इस पर वादी नें प्रतिवादीगण 1 व 2 से बार–बार आग्रह किया कि वह उक्त 3 बिस्वा का वादी को मुआवजा में मिली होनें से खातेदार मानकर कागजात राज में 3 बिस्वा की हद तक मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से नाम हटवा कर मेरा नाम दर्ज करवाये मगर उनके मन में गलत तौर से लालच आ जानें के कारण उन्होनें टाल मटोल करते हुए साफ इन्कार कर दिया है।

लगातार 2

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार डिग्री फरमाये जानें हेतु निवेदन किया है :–

(क) वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा रास्ता की भूमि की एवज में जो भूमि चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के 0.03 बिस्वा मिली हुई है, तथा वादी के कब्जा कास्त में चली आ रही है, का वादी को खातेदार हकदार घोषित करके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व के पिता (व पिता के वारिसान होनें से प्रतिवादी 1 व 2 का नाम) हटा का वादी के नाम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुक्दमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) या अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.05.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता उपस्थित आये। तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं दिनांक 31.01.2011 को उपस्थित आया। दिनांक 12.02.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब दावा मय काऊँटर क्लेम पेश किया जिसके अन्तर्गत वादी वाद को अस्वीकार करते हुए काऊँटर क्लेम में कथन किया कि :–

वादी नें अपनें वाद पत्र में जो यह अंकित किया है कि मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 6 बिस्वा रास्ता प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता ने प्राप्त किया ओर उसके मुआवजे में 3 बिस्वा रकबा मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में वादी को दी। यह तथ्य कतई गलत व निराधार है वादी व अन्य संयुक्त खातेदारान के मुरब्बा नम्बर 22 में प्रतिवादी के पिता का कोई हिस्सा ही नहीं था ना ही यह रास्ता मुरब्बा नम्बर 21 के लिये कोई लिया गया। बल्कि इसके विपरित वादी के संयुक्त खाता के साथ मुरब्बा नम्बर 21 लगता है इस कारण अनाधिकृत रूप से कुछ समय पूर्व इस पर कब्जा कर लिया ओर इस वाद की आड में कब्जा रखना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 3 बिस्वा भूमि वादी को देनें का कोई कानुनी ना तो रजि. बैयनामा है और ना ही कोई रजिस्टर्ड अधिकार पत्र इस भूमि को प्राप्त करनें के सम्बंध में है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता ने ना ही कभी कोई रास्ता मुरब्बा नम्बर 22 में लिया ओर ना ही इस भूमि को मुआवजे के रूप में दिया। इस प्रकार से जब ऐसा कोई अधिकार पत्र ही नहीं है ओर ना ही राजस्व रिकार्ड में इसका कोई अमल दरामद करवानें का अधिकारी है।

चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 3 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी प्रस्तुत की जा रही है इस प्रकार से उक्त भूमि में से उपरोक्त किलाजात की 3 बिस्वा भूमि मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपती है जिस पर वादी नें कुछ समय पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है, से वादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दिलाया जावे। जो प्रतिवादी विधिक रूप से प्राप्त करनें का अधिकारी है।

जबाब दावा मय काऊँटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे और काऊँटर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को वादी से आराजी वाके चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 3 बिस्वा रकबा जो मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपता है का कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 3

वादी द्वारा काऊँटर क्लेम का जबाब नहीं दिये जानें के कारण दिनांक 27.01.2014 को जबाब काऊँटर क्लेम बन्द किया गया तथा दिनांक 26.05.2014 को तनकीयात बनाई गई जो निम्नानुसार है :–

1. आया कि चक 5 बी छोटी के खाता संख्या 6 / 5 मुरब्बा नम्बर 21 के 0.03 रास्ता की भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी का नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज करनें के आदेश दिये जावे ? (वादीगण)

2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ है, जो कि प्रतिवादी का है, अतः उसे उक्त 0.03 बीघा भूमि का कब्जा दिलाया जावे ? (प्रतिवादीगण)

3. अनुतोष

दिनांक 14.07.2015 को अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य में रिछपालसिंह एवम् मोहनसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई जिस पर दिनांक 07.09.2015 को जिरह की गई दौरानें जिरह वाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि की गई।

दिनांक 03.02.2016 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा दिनाक 20.04.2016 को जिरह की गई दौरान जिरह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी वाद को स्वीकार नहीं किया।

बाद साक्ष्य जिरह दिनांक 06.09.2016 को विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौराने बहस वादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी को स्वीकार करनें बाबत निवेदन किया प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि भूमि हस्तान्तरण को कोई दस्तावेज नहीं है तथा ना ही कोई इकरारनामा, बैयनामा आदि नहीं होनें के कारण वाद वादी खारिज किया जावे।

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार रिछपाल सिंह मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 मे छोडे गये रास्ता के बदले में उजागरसिंह नें अपनें मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 0.03 बिस्वा रकबा रिछपालसिंह को दिया था जिसका इन्तकाल नम्बर 37 दिनांक 15.06.81 पर दर्ज किया गया था लेकिन उक्त रकबा जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं हुआ है। इस भूमि में मौके पर रिछपालसिंह पुत्र चननसिंह का कब्जा है। अतः दिनांक 26.05.2014 को बनाई गई तनकीयात के मध्यनजर निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :–

1. तनकीयान नम्बर 1 :– चक 5 बी छोटी के खाता संख्या 6 / 5 मुरब्बा नम्बर 21 के 0.03 बिस्वा रास्ता के बदले में दी गई है तथा भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। लेकिन वादी द्वारा सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत का उसे प्रदर्श नहीं करवाया ना ही कोई नामान्तरकरण जो वादीगण के पक्ष में हो कोई पेश नहीं किया है, इसलिये सिर्फ प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी देनें का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है इसलिये यह तनकी वादी सिद्ध करनें में विफल रहने के कारण तनकियात का निर्णय वादी के विरूद्ध में किया जाता है।

2. तनकीयान नम्बर 2 :– उक्त विवादास्पद भूमि मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ है, जो कि प्रतिवादी का है, परन्तु मोके पर कब्जा वादी का है भूमि हस्तान्तरण को कोई दस्तावेज नहीं है तथा ना ही कोई इकरारनामा, बैयनामा आदि नहीं होनें के कारण तनकियान का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी

अतः उपरोक्त तनकियात के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है, और प्रतिवादी का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि विवादित भूमि चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 3 बिस्वा रकबा जो मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपता है, का कब्जा वादीगण प्रतिवादी को सौप दे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर